भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4996
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: भंडारण सुविधाओं के लिए राजसहायता

4996. श्री राजकुमार चाहर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भंडारण सुविधाओं के लिए राजसहायता की उपलब्धता के बारे में छोटे और सीमांत किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की बढ़ती हुई लागत को समायोजित करने के लिए प्याज भंडारण सुविधाओं के निर्माण हेतु 1.75 लाख की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की भविष्य में इस योजना के अंतर्गत और शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों को शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषक समुदाय के बीच भंडारण हेतु सब्सिडी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रायोजित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन, डीडी किसान और आकाशवाणी के माध्यम से कृषि विस्तार के लिए जनसंचार माध्यम सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, 18 क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से सप्ताह में तीन दिन 30 मिनट का कृषि दर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीडी किसान पर सप्ताह में तीन दिन कृषि दर्शन, हैलो किसान और चौपाल चर्चा नामक तीन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी पर दो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं: i) किसानवाणी कार्यक्रम 96 ग्रामीण आकाशवाणी एफएम रेडियो स्टेशनों के माध्यम से सप्ताह में तीन दिन, और ii) किसान की बात कार्यक्रम दिल्ली (एनसीआर) में आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल के माध्यम से सप्ताह में तीन दिन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कृषक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर डीडी, आकाशवाणी और निजी टीवी और रेडियो चैनलों के माध्यम से ऑडियो-वीडियो स्पॉट के माध्यम से एक केंद्रित प्रचार और जागरूकता अभियान भी प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा, देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में आउटडोर विज्ञापन के साथ-साथ प्रिंट विज्ञापन के माध्यम से प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और पब्लिक ऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रचार और जागरूकता के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 25 मीट्रिक टन क्षमता वाले कम लागत वाले प्याज भंडारण स्ट्रक्चर के लिए प्रति इकाई 1.75 लाख रुपये की कुल लागत के 50% की दर से सहायता की परिकल्पना की गई थी।

पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न घटकों की इनपुट लागत में वृद्धि को देखते हुए, एमआईडीएच दिशानिर्देशों के साथ-साथ लागत मानदंडों को संशोधित किया गया है, जिसमें 25 मीट्रिक टन की अधिकतम क्षमता के लिए कम लागत वाले प्याज भंडारण की लागत को 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें पात्र परियोजना लागत का 50% राजसहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, देश में प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक क्षमता अर्थात अधिकतम 1000 मीट्रिक टन तक कम लागत वाले प्याज भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

(ग): सभी शीघ्र नष्ट होने वाली उपजें बागवानी फसलें एमआईडीएच योजना के अंतर्गत आती हैं। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरान्त होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।

उपरोक्त के अलावा, बागवानी सहित शीघ्र खराब होने वाली उपजों के विकास के लिए गतिविधियां अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) आदि के तहत की जा सकती हैं।

*****